

28.02.2025:-पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी का मूल वादी पत्र अदम हाजरी मे खारिज हो चुका हो। मूल वाद पत्र अदम हाजरी खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र 212 आर.टी.ए मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे स्थगन आदेश दिनांक 16.01.2023 को वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

दीप
सहायक क्लर्क
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

